## अध्याय 12

## सिं सड़ी कार्यक्रमों के निष् पादन का प्रबंध [धारा 4 (1) (बी) (xii)]

- 1. सार्वजनिक प्राधिकारण द्धारा कार्यान् वत की जा रही गतिविधियों/कार्यक्रमों/योजनाओं का वर्णन करें जिनके लिए सिंह सड़ी प्रदान की जाती हैं।
  - (1) सहायता अनुदान
  - (2) शाला आकस्मिक निधि
  - (3) शाला मरम्मत निधि
  - (4) समावेशित शिक्षा
- 2. विभिन् न कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत सिं सिंडी देने के लिए सिंह सिंडी की प्रकृति, सिंह सिंडी प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड और अधिकारी सक्षम के पदनाम की जानकारी प्रदान करें।

कार्यक्रम/गतिविधि का नाम	प्रकृति/सिं सडी का	सिं सडी देने के लिए	अनुदान देने वाले
	पैमाना	पात्रता मानदंड	अधिकारी का पदनाम
(1) सहायता अनुदान	वर्ष में एक बार 2 जोड़ी के	शासकीय प्राथमिक एवं	संचालन, राज्य शिक्षा केन्द्र
सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के	लिए 400/- रू.	माध्यमिक स्तर के समस्त	
अंतर्गत		बालक-बालिकाएं	
(अ)गणवेश			
(ब)पाठ्यपुर- तक	प्रतिवर्ष राज्य शिक्षा केन्द्र	शासकीय प्राथमिक एवं	संचालक, राज य शिक्षा केन द्र

	पाठ्यपुर तक निगम द्धारा		
	मुद्रित कराकर जिला शिक्षा	बालिकाएं	
	केन द्रों के नियंत्रण में		
	वितरित की जाती हैं।		
(2) शाला आकस्मिक निधि	5000/- रूपये	शासकीय प्राथमिक शालाओं	संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र
सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के	7000/- रूपये	शासकीय माध्यमिक शालाओं	
द्धारा	बजट आवंटन राज्य शिक्षा		
	केन्द्र से सीधे शाला प्रबंधन		
	समिति के बैंक खातें में		
	उपलब्ध कराये जाते है।		
	जिसका व्यय शाला प्रबंधन		
	समिति द्वारा निर्धारित		
	प्रक्रिया के तहत किया जाता		
	है।		
(3) शाला मरम्मत निधि	तीन कक्ष वाली शालाओं को	शासकीय प्राथमिक एवं	संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र
आकस्मिक व्यय	प्रति शाला राशि रूपये 5000/-	माध्यमिक शाला	
	तीन कक्ष से अधिक वाली		
	शालाओं को प्रतिशाला राशि		
	रूपये 10000/-		
	शाला प्रबंधन समिति के बैंक		
	खातें में उपलब्ध कराये जाते		
	है, जिसका व्यय शाला प्रबंधन		
	ममिति द्वारा निर्धारित		

	प्रक्रिया के तहत किया जाता		
	है।		
(4) समावेशित शिक्षा	50 सीट्र एक CWSN छात्रावास	जिले में एक CWSN	संचालक, राज य शिक्षा केन द्र
सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत	50 सीट्र एक CWSN बालिका	छात्रावास संभागीय	
आई ई डी समिति	छात्रावास	मुख यालय पर एक CWSN	
	12 लाख रूपये 50 बच्चों पर	बालिका छात्रावास	
	जिले द्धारा संचालन करने के		
	लिए प्रदान की जाती हैं		

## 3. सिं सडी कार्यक्रम के निष् पादन के तरीके का वर्णन करें

कार्यक्रम का नाम/गतिविधि	आवेदन	∓ वीकृति	संवितरण प्रक्रिया
	प्रक्रिया	प्रक्रिया	
(1) सहायता अनुदान	_	_	शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला 2 जोड़ी गणवेश प्रति विद्यार्थी को
(1) गणवेश			निशुल क दिए जाते हैं।
			शासकीय प्राथमिक शाला शासकीय माध्यमिक शाला शाला प्रबन्धन
(ब)पाठ्यपुर- तक	_	_	समिति द्धारा प्रत येक शाला में निशुल क पाठ्यपुर तक उपलब्ध कराई
			जाती हैं।
(2) शाला आकस्मिक			5000/- रूपये प्राथमिक
निधि	_	_	7000/- रूपये माध् यमिक को आकिस मक व यय हेतु निधि राज य शिक्षा
· ·· ·			केन् द्र से शाला प्रबन् धन समिमि के बैंक खाते में निर्धारित प्रक्रिया के
			तहत किया जाता हैं।

(3) <u>शाला</u> मरम् मत <u>निधि</u>		_	शासकीय प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला 5000/- व 10000/- की राशि शाला प्रबन्धन समिति के बैक खाते में डालकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत ट यय किया जाता हैं।
(4) <u>समावेशित शिक्षा</u> IED गतिविधि	-	_	जिले स् तर 50 सीट CWSN सभागीय मुख् यालय 50 सीट CWSN निर्धारित मापदण्ड अनुसार स्वयं सेवी संस्था जिले में उपलब्ध नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में जिला परियोजना समन्वयक द्वारा विभागीय रूप से उक्त छात्रावास संचालित किया जाता है।